छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा द्वितीय सत्र अंक-08

रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 फरवरी, 2024

(माघ 25, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या क्रमश:04 एवं 07 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: श्री अटल श्रीवास्तव एवं श्री रामकुमार टोप्पो, अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 57 तारांकित एवं 79 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2.बधाई

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि- आज बसंत पंचमी है । आप सभी को बसंत पंचमी की शुकामनाएं और मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले आप आने वाले समय में और बेहतर प्रश्न करें । आपकी बुद्धि और ज्ञान में वद्धि हो । मैं आप सब को यह शुभकामनाएं देता हूं ।

3.पृच्छा

सर्वश्री दलेश्वर साहू, दिलीप लहरिया, ब्यास कश्यप, इन्द्रशाह मण्डावी, कुंवर सिंह निषाद, अटल श्रीवास्तव, बघेल लखेश्वर, रामकुमार यादव, राघवेन्द्र कुमार सिंह, रिकेश सेन एवं श्रीमती

अंबिका मरकाम सदस्य द्वारा शून्यकाल में विविध विषयों के संबंध में आसंदी का ध्यानाकर्षित किया गया ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य की अनुपस्थिति पर व्यवस्था चाहते हुए आसंदी का ध्यानाकर्षित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि यह विषय उनके समक्ष विचाराधीन है ।

4. बजट पुस्तिका में संशोधन

वर्ष 2023-2024 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की बजट पुस्तिका में पृष्ठ क्रमांक-52 में संशोधन

श्री ओ.पी चौधरी, वित्त मंत्री ने संशोधन प्रस्तुत किया कि बजट पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक-52 में उल्लेखित मद क्रमांक-3 में सरल क्रमांक-1 में कार्य की अनुमानित लागत 1389 लाख के स्थान पर अनुमानित 13.89 लाख संशोधित कर पढ़ा जावे ।

5. सदन को सूचना

"स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन"

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- माननीय सदस्यों हेतु विधान सभा भवन स्थित ऐलोपैथिक चिकित्सालय में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 14 से 16 फरवरी, 2024 तक 'स्वास्थ्य परीक्षण शिविर' आयोजित है । कृपया, माननीय सदस्य प्रात: 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य शिविर का लाभ लेवें ।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 212 की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 5-9/आठ.परि./2022, दिनांक 18 जुलाई, 2023,

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 23 की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 5-6/आठ.परि./2022, दिनांक 22 सितम्बर, 2023, तथा

(3) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023, **पटल पर रखे ।**

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने प्रदेश में संचालित प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा देशी/विदेशी शराब दुकानों के संचालन में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री, का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

8.पृच्छा

सर्वश्री विक्रम मण्डावी, रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव एवं उमेश पटेल सदस्यों द्वारा ध्यानाकर्षित किया गया कि आमानाका में एक कंटेनर पकड़ा गया, जिसमें 100 गाय ले जा रहे थे, जिसमें से 13 गायों की मौत हो गई। प्रदेश में ऐसी घटानएं हो रही हैं । इस पर सरकार का वक्तव्य आना चाहिए ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

9. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- शून्यकाल के बाद विषय की गंभीरता को लेकर एक, दो लोगों ने इस संबंध में चर्चा की । सरकार के ध्यान में सारा विषय आ गया । ध्यानाकर्षण चल रहा है। महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत चल रही है । एक ध्यानाकर्षण हो गया है । बीच में इस प्रकार की बात करना उचित नहीं है । कभी दूसरे अवसर आएंगे, उस पर आप बोलिएगा ।

10. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्री जनकराम ध्रुव, सदस्य ने गरियाबंद जिले के किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं किये जाने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

11. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- आज ध्यानाकर्षण में प्रदेश में संचालित प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा देशी/विदेशी शराब दुकान के संचालन में अनियमितता के संबंध में जो वक्तव्य दिया गया, उसमें मैं सभी मंत्रिगणों से कहना चाहूंगा कि इतना लंबा वक्तव्य होता नहीं है । आप कृपा करके भविष्य में इस बात की चिन्ता करें कि इतना डिटेल और इतना लंबा वक्तव्य जो ध्यानाकर्षण में आया था, वह ठीक नहीं है । भविष्य में इस बात की चिन्ता करें ।

12. अशासकीय संकल्पों के लिए समय निर्धारण की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने आगामी शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 2024 के अशासकीय दिवस हेतु निर्धारित दो अशासकीय संकल्पों संबंधी सूचना पत्रक भाग-दो के द्वारा जारी की जा चुकी है। ग्राह्य अशासकीय संकल्पों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित किया जाता है :-

अशासकीय संकल्प क्रमांक	सदस्य का नाम	आवंटित समय
(क्रमांक-01)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट
(क्रमांक-02)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट

13. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी गई ।

14. वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर मतदान

श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री ने संस्कृति विभाग से संबधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या-26**, स्कूल शिक्षा से संबंधित **मांग संख्या-27**, राज्य विधान मण्डल से संबंधित **मांग संख्या-28**, पर्यटन से संबंधित मांग **संख्या-37**, उच्च शिक्षा से संबंधित **मांग संख्या-44**, धार्मिक न्यास और धर्मस्व से संबंधित **मांग संख्या-51**, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-26 पर डॉ. चरण दास महंत, सर्वश्री लखेश्वर बघेल, दिलीप लहरिया, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी

नंद, **मांग संख्या-27** पर डॉ. चरण दास महंत, श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री भोलाराम साहू, दिलीप लहरिया, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, श्रीमती चातुरी नंद, श्री इन्द्र साव, **मांग संख्या-28** निरंक **मांग संख्या-37** पर डॉ. चरण दास महंत, श्री दिलीप लहरिया, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती चातुरी नंद, श्री बालेश्वर साहू, **मांग संख्या-44** पर डॉ. चरण दास महंत, सर्वश्री लखेश्वर बघेल, भोलाराम साहू, दिलीप लहरिया, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, श्रीमती चातुरी नंद, **मांग संख्या-51** पर डॉ. चरण दास महंत, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, दलेश्वर साहू, श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, श्रीमती अनिला भेंडिया,

(सभापति महोदय (श्री दलेश्वर साहू) पीठासीन हुए।)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती भावना बोहरा, सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, गजेन्द्र यादव, भोलाराम साहू, प्रणव कुमार मरपची, श्रीमती चातुरी नंद, श्री अनुज शर्मा, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री रामकुमार टोप्पो, अटल श्रीवास्तव, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, जनकराम ध्रुव, धर्मजीत सिंह, ब्यास कश्यप, श्रीमती रायमुनी भगत

(माननीय सभापति महोदय ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद क्रम 4 (1) का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की)

सर्वश्री इन्द्रशाह मण्डावी, बघेल लखेश्वर

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

15. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में श्री भूपेन्द्र यादव, केन्द्रीय मंत्री, श्रम, रोजगार तथा पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन उपस्थित हैं, मैं सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूं ।

16. वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े

श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

17. माननीय अध्यक्ष महोदय का विनिश्चय

श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 65, भिलाई नगर द्वारा फरवरी-मार्च, 2024 सत्र में अपरिहार्य कारण से दिनांक 5 फरवरी, 2024 से दिनांक 1 मार्च, 2024 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई थी ।

दिनांक 8 फरवरी, 2024 को उनकी अनुपस्थिति का कारण पर्याप्त न होने के कारण अनुपस्थिति की अनुज्ञा पर विचार नहीं किया गया था । इसके संबंध में आसंदी द्वारा विनिश्चय करने का कहा गया था।

चूंकि श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य दिनांक 9 फरवरी, 2024 को सभा में उपस्थित हो गये थे तथा आज भी उपस्थित हुए हैं । अत: अब उनकी सभा की बैठकों में अनुपस्थिति की अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है ।

सायं 7.23 बजे विधान सभा की कार्यवाही, गुरुवार, दिनांक 15 फरवरी, 2024 (माघ-26, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा